न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

रिवीजन याचिका संख्या 2019/00084 दायर दिनांक 23.10.2019

भींवाराम पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट उम्र 78 साल निवासी गाँव चारणवासी तहसील सरदारशहर जिला चूरू। —निगरानीदार—

बनाम्

1. ग्राम पंचायत भादासर दिखणादा, तहसील सरदारशहर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भादासर दिखणादा, तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. पंचायत समिति सरदारशहर जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

—गैर निगरानीदार—

निगरानी बखिलाफ हुक्म व आदेश दिनांक 10.10.2019 ग्राम पंचायत भादासर दिखणादा जिसके द्वारा निगरानीदार को उसकी कदीमी कब्जा एवं रिहायशी घर गाँव आबादी चारणवासी तहसील सरदारशहर पर अतिक्रमी मानकर हटाने का आदेश दिया गया बमुराद मन्सुखी उपर्युक्त आदेश एवं इससे सम्बन्धित ग्राम पंचायत के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही हर प्रकार से हस्ब दफा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत।

उपस्थित :—

1. श्री भागीरथ सिद्ध, अधिवक्ता वास्ते निगरानीदार।
2. श्री गोपाल कृष्ण सिहाग, अधिवक्ता वास्ते गैरनिगरानीदार।

निर्णय दिनांक 05.09.2023

यह निगरानी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरु के न्यायालय से सुनवाई हेतु स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज (ऑनलाईन पोर्टल) की गई। इस निगरानी में निगरानीदार के मुख्य कथन इस प्रकार हैः—

1. यह कि आदेश जैर निगरानी मातहत ग्राम पंचायत भादासर दिखणादा आदेश दिनांक 10.10.2019 एवं इसके अन्तर्गत की गई सम्पूर्ण कार्यवाही खिलाफ कानून खिलाफ कायदा, खिलाफ वाकयात मिसल व नियम व न्याय विरूद्ध होने से निरस्त करने काबिल है।
2. यह कि निगरानीदार का गाँव आबादी चारणवासी तहसील सरदारशहर में रिहायशी भू—खण्ड पिछले करीब 50 वर्षो से अधिक समय से अवस्थित है जिसमें निगरानीदार ने अपनी रिहायश के लिये मकानात बना रखे है निगरानीदार का पशुधन गाय, भैंस, उॅट आदि इसी भू—खण्ड में बांधते है इस भू—खण्ड के चारों तरफ निगरानीदारान ने अपनी दिवार व पट्टिया रोपकर तारबन्दी से कवर कर रखी है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

3. यह कि उपरोक्त मद नं0 2 में लिखे गये आसा पासा व माप का भू–खण्ड गांव आबादी चारणवासी में पिछले 50 सालों से निगरानीदार के निर्वाध रूप से कब्जा उपयोग व उपभोग में रहा है इस भू–खण्ड में से उतर पासे जहां पर पुराने मकान बने हुये थे उसका पट्टा ग्राम पंचायत भादासर दिखणादा ने निगरानीदार के नाम से जरिये प्रस्ताव स० 3 दिनांक 15–2–1989 को जारी कर दिया था तथा शेष भू–खण्ड बदस्तुर निगरानीदार के ही रिहायशी कब्जा एवं उपयोग व उपभोग का है। फरमाया जावे।
4. यह कि गैर निगरानीदार सं0 1 सरपंच ग्राम पंचायत भादासर दिखणादा व उसके परिवार के लोग पिछले काफी समय से गांव में पार्टीबाजी के कारण निगरानीदार से नाराजगी रखते है ओर इसी रंजीश के कारण उन्होंने निगरानीदार के विरूद्ध बिना किसी उचित कारण व आधार के अपने पद का दुरूपयोग करते हुये इस वादगत भू–खण्ड पर से निगरानीदार को अतिकमी घोषित कर मौके पर से कब्जा हटाने व बेदखल करने की कार्यवाही शुरूकर आदेश जैर निगरानी दिनांक 10–10–2019 विधि विरूद्ध तरीके से पारीत कर दिया जो निरस्त करने काबिल है।

ग्राम पंचायत भादासर दिखणादा आदि के नोटिस दिनांक 10.10.2019 से संबंधित पत्रावली तलब की गई।

गैर निगरानीदारान को जरिये समन तलब किया गया। गैर निगरानीदार संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण सिहाग तथा गैर निगरानीदार संख्या 02 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया है किन्तु बहस के वक्त गैर निगरानीदार संख्या 02 हाजीर नहीं आये इसलिए गैर निगरानीदार संख्या 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

निगरानीदार अधिवक्ता ने रिवीजन याचिका मेमों में अंकित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए कहा कि निगरानीदार के वादगत भू–खण्ड जो पिछले करीब 50 सालों से अधिक समय से उसके कब्जे रिहायश एवं उपयोग व उपभोग का है। इस निगरानी का मुख्य विवाद निगरानीदारान को अतिक्रमी माना गया हैं। जबकि ग्राम आबादी चारणवासी तहसील सरदारशहर में रिहायशी भु–खण्ड पिछले करीब 50 वर्षो से अधिक समय से अवस्थित हैं। जिसमें निगरानीदार ने अपनी रिहायश के लिए पक्के व कच्चे मकान बना रखे हैं । निगरानीदार का पशुधन गाय भैंस उँट आदि इसी भू–खण्ड में बान्धता हैं। और इस भू–खण्ड के चारों ओर दिवार व तार पट्टी कर रखी है। इस भू–खण्ड में से उतर के पासे जहा पर पुराने मकान बने हुए हैं उसका पट्टा ग्राम पंचायत भादासर दिखणादा ने निगरानीदार के नाम से जरिये प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 15.02.1989 को जारी किया गया हैं। और शेष भू–खण्ड पर निगरानीदार के ही रिहायशी कब्जा उपयोग उपभोग का हैं। अतः नोटिस दिनांक 10.10.2019 विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जावे।

गैरनिगरानीदार अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा की निगरानीदार को आवासीय पट्टा ग्राम पंचायत भादासर दिखनादा द्वारा 18,886 वर्गफीट का ही जारी किया गया है, जबकी निगरानदार द्वारा पट्टा भूमि के अलावा ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसी अतिक्रमण के कारण निगरानीदार को नोटिस दिनांक 10.10.2019 जारी किया गया है, जिसमें कोई त्रुटी नहीं है। अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद नेहरा ने ग्राम पंचायत को एक विधिक नोटिस दिनांक 25.07.2018 भेजा है, जिसमें उसके द्वारा पट्टा भूमि के अतिरिक्त पंचायत की अन्य भूमि पर कब्जा नहीं होना माना है, जबकी निगरानी याचिका में पट्टा भूमि के अलावा भी 50 वर्षो से कब्जा माना है। इससे स्पष्ट है की निगरानीदार द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। इसलिए नोटिस दिनांक 10.10.2019 विधि अनुरूप है। नोटिस दिनांक को यथावत रखा जावे।

निगरानीदार अधिवक्ता व गैर निगरानीदार अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीदार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इसलिए नोटिस दिनांक 10.10.2019 को अपास्त कर निगरानी Remand

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

की जाती है एवं सरपंच ग्राम पंचायत भादासर दिखणादा व विकास अधिकारी पंचायत समिति सरदारशहर जिला चूरू को निर्देशित किया जाता है कि वह निगरानीदार के अतिक्रमण होने अथवा नहीं होने के सम्बन्ध में विधिक जांच करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। ग्राम पंचायत की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति संलग्न कर भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावें।

निर्णय दिनांक 05.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू